प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 27.03.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

आगामी त्योहारों व पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पैदल मार्च

आज दिनांक 27.03.21 को जिलाधिकारी खीरी, श्री शैलेन्द्र सिंह; पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल; क्षेत्राधिकारी सदर, श्री अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा आगामी होली के त्योहार व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शान्तिपूर्ण, सुरक्षित व सकुशल सम्पन्न कराने एवं आम जनमानस के बीच सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से भारी पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र के विभिन्न बाजारों, प्रमुख चौराहों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि में पैदल मार्च किया गया।

इस दौरान बाजार क्षेत्र के व्यापारियों/दुकानदारों से वार्ता कर कोरोना के बढते संक्रमण के संबंध में जागरुक करते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन करने, त्योहार के दृष्टिगत बाजार में अधिक भीड़-भाड़ के दौरान चोरी, छिनैती, छेड़छाड़ आदि जैसी घटनाओं को रोकने के संबंध में अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत बाजार क्षेत्र के विभिन्न शस्त्र की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया तथा वहां जमा किये गये शस्त्रों के संबंध में आवश्यक पूछताछ कर जमा/बिक्री रजिस्टर्स व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन भी किया गया एवं आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए।

क्षेत्राधिकारीगण की स्थानांतरण पर विदाई

क्षेत्राधिकारी मितौली, श्री शीतांशु कुमार एवं क्षेत्राधिकारी गोला, श्री रविन्द्र कुमार वर्मा के जनपद खीरी से स्थानांतरण के अवसर पर दिनांक 26.03.2021 को पुलिस लाइन सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल; अपर पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री अरूण कुमार वर्मा के साथ ही समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा निवर्तमान क्षेत्राधिकारीगण को पुष्प माला पहनाकर एवं उपहार व स्मृति चिन्ह भेंट कर आगामी नवीन कार्यकाल की शुभकामनाओं सहित विदाई दी गई।

थाना भीरा पुलिस द्वारा 330 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी व संदिग्ध वाहन/संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.03.2021 को थाना भीरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अलीगंज-भीरा मार्ग से 02 शातिर अभियुक्तों 1.भूपेन्द्र प्रताप उर्फ बबूलू पुत्र रामेश्वर दयाल नि0 भदेड़ थाना गोला जनपद खीरी 2.गयाप्रसाद उर्फ टाइगर पुत्र रामकुमार नि0 ग्राम बिजुरिया थाना हैदराबाद जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 330 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना भीरा पर धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1.भूपेन्द्र प्रताप उर्फ बबूलू पुत्र रामेश्वर दयाल नि0 भदेड़ थाना गोला जनपद खीरी
2.गयाप्रसाद उर्फ टाइगर पुत्र रामकुमार नि0 ग्राम बिजुरिया थाना हैदराबाद जनपद खीरी

बरामदगी

अभियुक्त भूपेंद्र प्रताप के कब्जे से 130 ग्राम अवैध अफीम एवं अभियुक्त गयाप्रसाद के कब्जे से 200 ग्राम अवैध अफीम बरामद|

पुलिस टीमः

1- थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार राय, थाना भीरा
2- उ0नि० श्री विपिन कुमार
3- उ0नि० श्री विनोद कुमार यादव
4- उ0नि० श्री सुरेश चंद्र
5- का० भानू प्रताप
6- का० अरविन्द कुमार रावत
7- का०राजू वर्मा
8- का० कुलदीप सिंह

थाना मितौली पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त भगवानदीन पुत्र इतवारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त भगवानदीन पुत्र इतवारी निवासी रुरबा थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 108/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

<u>थाना मितौली पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.03.21 को थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 80/2021 धारा 307/452/323/506 भादवि में वांछित अभियुक्त शैलेंद्र कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी तेंदुआ थाना मितौली खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

<u>थाना खीरी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त सोनू उर्फ प्रधान को किया गया गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू उर्फ प्रधान पुत्र ओमप्रकाश नि0 बरखेरवा थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 130/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।।

<u>थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त इंचार्ज को किया गया गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त इंचार्ज पुत्र गंगाराम नि0 बौखा थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 152/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त अवधेश शुक्ला को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना धौरहरा पुलिस द्वारा चेकिंग अभियुक्त अवधेश शुक्ला पुत्र नत्थू शुक्ला उम्र नि0 तिवारिन पुरवा मनिहारवार्ड कस्बा व थाना धौरहरा खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 117/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, 205 लीटर अवैध कच्ची शराब, 03 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध वृहद स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के दौरान विगत 24 घण्टे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 09 अभियोग पंजीकृत किये गये। 03 अवैध शराब भट्ठी सहित 205 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी। साथ ही मौके पर भारी मात्रा में लहन भी नष्ट किया गया।

<u>वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 134/21 धारा 363/366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त रानीदीन पुत्र सुरेश नि0 भवानी थाना गोला खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मितौली पुलिस द्वारा अ0सं0 80/21 धारा 307/452/506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त शैलेन्द्र पुत्र रामप्रसाद नि0 तेन्दुआ थाना मितौली खीरी को गिरफ्तार किया गया।